पत्रांक3996 / आयु0क0उत्तरा0 / वाणि0कर / विधि–अनुभाग / 12–13 / देहरादून।

कार्यालय आयुक्त कर,उत्तराखण्ड
(विधि–अनुभाग)
दिनांक:::देहरादून::: 15 दिसम्बर,2012

समस्त डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर,
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर,वाणिज्य कर
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड।

शासन की अधिसूचना सं0–331 / XXXVII / (3) / 52(1) / 2010 दिनांक–06.10.2010 द्वारा उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 25 को प्रतिस्थापित करते हुए उसमें व्यापक परिवर्तन किये गये है, जिसमें निहित प्राविधानों के अनुसार कर निर्धारण वर्ष 2010–11 की वार्षिक विवरणी दिनांक–31.12.2011 तथा विलम्ब शुल्क सहित दिनांक 30.06.2012 तक दाखिल की जानी थी। कर निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिए प्राप्त वार्षिक विवरणियों के सम्बन्ध में निम्न प्रकार प्रक्रिया अपनाए जाने के निर्देश दिये जाते है।

1– वर्ष 2010–11 के लिए प्राप्त समस्त वार्षिक विवरणी को रसीद संख्यावार / दिनांक वार बढ़ते हुए क्रम में निम्न प्रारूप में रजिस्टर बनाते हुए सूचीबद्ध किया जाएगा–

कर निर्धारण वर्ष 2010–2011

प्रारम्भिक क्रम संख्या	अन्तिम क्रम संख्या	आर–29 की रसीद संख्या / दि0	व्यापारी का नाम व पता	टिप्पणी

2– उपरोक्तानुसार तैयार की गई सूची की एक प्रति दिनांक 31.12.2012 तक सम्बन्धित कर निर्धारण कार्यालय के बाहर चस्पा की जाएगी। जिससे कि प्रत्येक व्यापारी, जिसने सम्बन्धित वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी दाखिल की है, इस बात की पुष्टि कर सके कि उनके द्वारा दाखिल वार्षिक विवरणी का इन्द्राज सूची में हो गया है। साथ ही व्यापारी को 31.01.2013 तक का समय इस आशय से दे दिया जाय कि यदि किसी व्यापारी द्वारा वार्षिक विवरणी दाखिल नियत अवधि में की गई है, किन्तु उनका नाम सूची में नहीं है तो वह व्यापारी प्रमाण पत्र सहित इस आशय की सूचना कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सके।

3– यदि कोई ऐसा मामला संज्ञान में आता है जिसमें व्यापारी द्वारा वार्षिक विवरणी दाखिल किये जाने के बाद भी उसका इन्द्राज उपरोक्तानुसार तैयार की गई सूची में न हो

पाया हो तो ऐसे व्यापारी से विवरणी दाखिल करने का प्रमाण लेकर सूचीबद्व किया जायेगा।

4– उपरोक्तानुसार तैयार की गई सूची से सम्बन्धित साविधिक व वार्षिक विवरणी की स्क्रूटनी के फलस्वरूप धारा 25(2) के प्रावधानों के प्रकाश में अपूर्ण मामलों को बाहर करते हुए पुनः सूचीबद्ध किया जाएगा जिसमें सम्बन्धित विवरणी को बाहर करने के कारण अभिलिखित करते हुए सूची को पुनः कर निर्धारण कार्यालय के बाहर चस्पा किया जाएगा, तथा उक्त सूची को website पर प्रकाशित करने हेतु Web-information officer को भी प्राप्त कराया जायेगा।

5– उक्त सूची में से निम्नलिखित प्रवर्ग के मामलें जांच के पश्चात नियमित कर निर्धारण के अध्याधीन होगें:–

(i) ऐसे मामले जिनमें कर निर्धारण वर्ष 2010–11 में सकल विक्रय धन रुपये दस करोड़ से अधिक है।

(ii) ऐसे मामलें जिनमें वापसी का दावा या अगले वर्ष अग्रसारित हेतु अधिक जमा की राशि पांच लाख रूपये से अधिक है ।

(iii) किसी वस्तु पर कर की दर वास्तविक दर से निम्न दर पर व्यापारी द्वारा स्वीकार की गयी है, अर्थात वस्तु का गलत वर्गीकरण।

(iv) कोई छूट या कर मुक्ति या इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत लाभ लिया गया हो।

(v) जांच चौकी /सचल दल/वि0अनु0शा0 इकाई से कर अपवंचन सम्बन्धी कोई सूचना /जांच रिपोर्ट उपलब्ध है।

(vi) क्लेम किया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट सत्यापन के उपरान्त असत्यापित पाया गया हो।

(vii) संगत वर्ष में अनन्तिम कर निर्धारण की कार्यवाही की गई हो।

(viii) जिन वादों में पिछले दो वर्षो से कोई कर जमा नहीं किया गया है, सिर्फ आई0टी0सी0 अग्रसारित किया गया है।

(ix) लगातार दो त्रैमास में शून्य खरीद–बिक्री घोषित की गयी हो।

(x) संवेदनशील वस्तुओं के व्यापारी (परिपत्र संख्या–170/आयु0क0उत्तरा0/विधि–अनु0 /2011–12/देहरादून दिनांक 15 अप्रैल, 2011) के अनुसार।

(xi) गत वर्ष कर निर्धारण न्याय विवेक से किया गया हो।

(xii) जिनकी प्राप्त सूचनाओं का मिलान नहीं हो पा रहा है।

(xiii) संविदाकारों से सम्बन्धित वाद।

(xiv) वार्षिक विवरणी में सावधिक विवरणियों में घोषित टर्नओवर से कम टर्नओवर प्रदर्शितकिया हो तथा इस अन्तर का युक्तियुक्त कारण न दिया हो।

(xv) कर अपवंचन से सम्बन्धित काई अन्य सूचना/प्रमाण उपलब्ध हों।

6– धारा 25(2) के प्रावधानों के प्रकाश में आये अपूर्ण मामलों व उक्त प्रस्तर–5 में

उल्लिखित मामलें जो नियमित कर निर्धारण के अघ्याधीन होंगे, उनको छोड़कर समस्त स्वतः योजना में दाखिल वाद स्वतः निर्धारित समझे जायेंगें। इसके अतिरिक्त जो वाद स्वतः योग्य नहीं पाये गये उनके सम्बन्ध में भी कारण उल्लेख करते हुये व्यापारी को सूचित किया जायेगा।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक–:उपरोक्तानुसार।

(सौजन्या)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

पृ0प0सं0 /दिनॉक उक्त।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव,वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. महालेखाकार,उत्तराखंड वैभव पैलेस इन्द्रानगर,देहरादून।
3. अध्यक्ष/सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण देहरादून/हल्द्वानी।
4. एडिशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर,गढ़वाल जोन देहरादून/कुमायूँ जोन,रूद्रपुर।
5. एडिशनल कमिश्नर(आडिट/प्रवर्तन)वाणिज्य कर,मुख्यालय देहरादून।
6. समस्त ज्वाइंट कमिश्नर(कार्यपालक)वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एसोसियेशन के पदाधिकारियों /व्यापारी संगठनो के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. ज्वाइंट कमिश्नर(अपील)वाणिज्य कर,देहरादून/हल्द्वानी।
8. ज्वाइंट कमिश्नर(वि0अनु0शा0/प्रवर्तन)वाणिज्य कर,हरिद्वार/रूद्रपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. श्री रोशन लाल, डिप्टी कमिश्नर(क0नि0)–3, वाणिज्य कर, देहरादून एवं Web-information officer को NIC एवं विभागीय website पर update करने हेतु।
10. आई0टी0 अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त अधिसूचना स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों अधिवक्ताओं को ई–मेल द्वारा प्रेषित कर दें।
11. इन्टावैट ईन्फो प्रा0लि0 4, फेयरी मेनर द्वितीय फ्लोर 13,आर0सिधुआ मार्ग मुम्बई–400001।
12. नेशनल लॉ हाउस बी–2 मॉडर्न प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड,गाजियाबाद।
13. नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस–15/5 राजनगर गाजियाबाद।
14. डिप्टी कमिश्नर(उच्च न्याय0कार्य0)वाणिज्य कर,नैनीताल।
15. स्वास्तिक पब्लिकेशन एसई–233,शास्त्री नगर,गाजियाबाद,–201002